NKR-PK/5D/9.00

श्री राकेश सिन्हा (क्रमागत) : अब मैं दूसरे विधेयक पर आना चाहता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ..(व्यवधान).. यहां राम गोपाल जी और सतीश मिश्रा जी की वाणी में थोड़ी समानता दिखाई पड़ने लगी है। ..(व्यवधान).. पता नहीं साइकिल के नीचे हाथी आएगा या हाथी के ऊपर साइकिल आएगी ? ..(व्यवधान).. मुझे मालूम नहीं। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : आप बोलें, आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जा रही है। ..(व्यवधान).. आप कृपया बैठें। ..(व्यवधान)..

श्री राकेश सिन्हा : आप चिन्ता मत कीजिए, हम सब पर भारी पड़ने वाले हैं।..(व्यवधान).. इसकी चिन्ता बिल्कुल मत कीजिए। ..(व्यवधान).. मैं दो बातें कहना चाहता हूं। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : आपके पास सिर्फ दो मिनट का समय है। ..(व्यवधान)..

श्री राकेश सिन्हा : आज राज्य सभा में धर्म के नाम पर आरक्षण की मांग करके इस देश में आज़ादी से पहले की जो राजनीति थी, उसे जीवित करने की कोशिश दोनों नेताओं ने की है। ..(व्यवधान).. सभापति महोदय, मैं यहां तीन लोगों के नाम लेना चाहता हूं। ..(व्यवधान).. श्री आर. लालकृष्ण सिधवा पारसी थे, एच.सी. मुखर्जी ईसाई थे और तज़मुल हुसैन मुस्लिम थे। तीनों के संविधान सभा में दिए भाषण को पढ़ लीजिए।..(व्यवधान).. उन्होंने कहा था कि minority communities का जो creation है, these are creations of the British. Britishers have gone. We have come. With them, the concept of minority has also gone. उन्होंने अपील की थी कि

minority शब्द को अपनी dictionary से निकालकर बाहर फेंक दीजिए।..(व्यवधान).. लेकिन राम गोपाल जी, सतीश मिश्रा जी और कांग्रेस के लोग उस minority शब्द को पहला शब्द बनाकर रखना चाहते हैं।..(व्यवधान)..

दो बातें और कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। ..(व्यवधान).. यहां बार-बार कहा गया कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने पिछले साढ़े चार साल में क्या किया ? ..(व्यवधान).. आप जरा शांत रहिए।..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : अब आप अपनी बात एक मिनट में खत्म करें। ..(व्यवधान)..

श्री राकेश सिन्हा : सभापति महोदय, मुझे कोई कांग्रेस का नेता यहां बता दे कि 1947 से लेकर 2018 तक किसी पार्टी ने 90,000 लोगों को रोज़गार देने का advertisement एक दिन में निकाला हो - रेलवे का निकला है।..(व्यवधान).. हमारी सरकार के समय में 90,000 लोगों की भर्ती का advertisement निकला है। आप कोई ऐसा advertisement निकालकर दिखा दीजिए।..(व्यवधान).. मुद्रा योजना में..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : अब आप अपनी बात समाप्त करें। ..(व्यवधान).. पुनिया साहब, आप बैठें। ..(व्यवधान).. राकेश जी, आप अपनी बात खत्म करें। ..(व्यवधान).. मैं दूसरे वक्ता को बुलाऊंगा। ..(व्यवधान).. जो आपके लिए समय तय था, वह आपने ले लिया। ..(व्यवधान)..

श्री राकेश सिन्हा : मुद्रा योजना में 12 करोड़ लोगों को ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा, आप कृपया अपनी बात को खत्म करें। ..(व्यवधान).. Please conclude.

श्री राकेश सिन्हा : मैं समाप्त कर रहा हूं। मुद्रा योजना में 12 करोड़ लोगों को ऋण दिया गया।..(व्यवधान).. 1,75,312 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया, ..(व्यवधान).. जिनमें से 55 प्रतिशत OBC and S.C., S.T. के लोग हैं। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : मैं आपको इससे आगे allow नहीं करूंगा। ..(व्यवधान).. आप शीघ्र खत्म करें। मैं दूसरे स्पीकर को बुलाता हूं। ..(व्यवधान).. Please conclude.

श्री राकेश सिन्हा : माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जो अपने साक्षात्कार में कहा, मैं उसकी याद दिलाना चाहता हूं। एक statesman के नाते उन्होंने विपक्ष के नेताओं से अपील की थी ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : राकेश जी, मुझे दूसरे स्पीकर को बुलाना पड़ेगा। ..(व्यवधान).. Please conclude.

श्री राकेश सिन्हा : उच्चतम न्यायालय में राम जन्मभूमि के मुद्दे पर आपने जिस तरह का अड़ंगा डाला, ..(व्यवधान).. आप अड़ंगा मत डालिए।..(व्यवधान).. आज आप फिर उसी की तैयारी कर रहे हैं।..(व्यवधान).. कपिल सिब्बल साहब की बात का मैं ज़िक्र करना चाहूंगा।..(व्यवधान).. सर्वोच्च न्यायालय में कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को रोकना चाहती है। ..(व्यवधान).. मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : राकेश जी, बस हो गया । अब आप बैठिए। मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूं। ..(व्यवधान)..

श्री राकेश सिन्हा : मैं समाप्त कर रहा हूं। ..(व्यवधान)..

(समाप्त)

श्री उपसभापति : राकेश जी, अब आप बैठ जाइए। ..(व्यवधान).. श्री हुसैन दलवई जी - अनुपस्थित। बाकी पार्टीज़ के पास समय नहीं बचा है, Shri K. Ravindra Kumar, you have one minute, please. The mike will automatically go off.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (ANDHRA PRADESH): Sir, this is an important Bill which requires a constitutional amendment. This Bill has been introduced in this apex constitutional body without any homework. If a Bill requires any constitutional amendment, for that, a report has to be obtained or it has to be referred to the Select Committee or it has to be studied before weighing the pros and cons of all the institutions. Simply because we are raising objections and supporting the Bill, the Government should not take it for granted. Our objections should be taken into consideration in order to resolve the issues that may come up during the course of implementation of the programme.

(Contd. by PB/5E)

PB-RK/5E/9.05

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (CONTD.): Whatever it may be, as far as the requirement issues for Economically Backward Classes are concerned, earlier the Apex Court, a Nine-Judge Constitutional Bench, has already struck that down, the issue of ten per cent EBC quota in 1992 itself. Sir, that was not answered in this case. Even subsequent to that, in 2006, in

Nagaraj case also, the same principle is upheld. Any reservation, not only reservation to the backward classes, should not exceed 50 per cent. In that case, there is no answer from the Government. This has been introduced in a hurried manner without any debate, etc. There are so many things to be answered as far as the definition of EBC and other aspects are concerned. Statistics are also required as to how many categories are there, how much reservations are required, how many people are benefited, etc. These aspects have to be studied. There is no study report at all. But what has happened at this stage is that at the fag end of the extended day of this House, they have introduced the Bill in a hurried manner. This doesn't serve the purpose of the public, except the purpose of political gimmick.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. You have got another speaker.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: However, the Andhra Pradesh State Government under the leadership of Nara Chandrababu Naidu has already sent a report to the Central Government for five per cent reservation categorization to Kapu community. That was not considered. There are similar demands from other States. They were also not considered. Without considering the demands made by the States, it is brought. That was being kept aside.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. I will invite another speaker now.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: At the same time, it is brought in a hurried manner. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...(Interruptions)... Hon. Husain Dalwaiji. ...(Interruptions)... You have only three minutes. Please conclude your speech within that time. ...(Interruptions)...

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: However, we are supporting this Bill but the Central Government must ensure the implementation of this Bill without any hurdles. ...(Interruptions)...

(Ends)

श्री उपसभापतिः हुसैन दलवई जी , कृपया तीन मिनट में अपनी बात खत्म करें।...(व्यवधान)... आपकी बात नहीं, सिर्फ हुसैन दलवई जी की बात रिकॉर्ड पर जाएगी।...(व्यवधान)...

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: *

----------* **Not Recorded.**

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र) : सर, मुझे खुशी है कि बीजेपी के लोगों ने रिज़र्वेशन की बात रखी है, क्योंकि इन्होंने पूरी जिंदगी रिज़र्वेशन के खिलाफ बातें की हैं, लेकिन ईश्वर न्याय इसी तरह से देता है, यह अच्छी बात है। मैं एक तरह से इस बिल का

स्वागत करता हूँ। रामदास अठावले जी अभी वहाँ बैठे हुए हैं। मैंने और रामदास अठावले जी ने महाराष्ट्र में कई जगह पब्लिक मीटिंगज़ लेकर, conferences लेकर कहा है कि ऊपर की जाति के लोगों को रिज़र्वेशन में रखिए, क्योंकि अगर इनको नौकरी नहीं मिलती है, तो इनको लगता है कि दलितों को नौकरी मिल जाती है, इसलिए मुझे नहीं मिलती, ओबीसी को नौकरी मिल जाती है, इसलिए मुझे नहीं मिलती, आदिवासियों को नौकरी मिल जाती है, इसलिए मुझे नहीं मिलती। यह जो उनके दिमाग में है, इसे निकालना जरूरी है। यह जो बिल आया है, मैं उसका स्वागत करूंगा, लेकिन उसमें इनकम की जो बात की गई है कि कितनी इनकम होनी चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ कि गरीब कौन होता है? जिसकी सालाना इनकम आठ लाख है, वह गरीब नहीं कहलाता है। आप सही मायने में वहाँ पर poverty line के नीचे के गरीब की बात करिए और उनको किस तरह से शिक्षा देनी है, किस तरह से नौकरी देनी है, उसके घर का इंतजाम करना है, इस तरह की बात कीजिए। इससे सही मायने में न्याय मिलेगा। मैं यह जानता हूँ कि ब्राह्मण समाज में भी गरीब लोग हैं, मराठा समाज में बहुत ही ज्यादा गरीब लोग हैं, लेकिन मुसलमानों के जितना कोई गरीब नहीं है। इतने सारे भाषणों में बहुत कम लोगों ने मुसलमानों का ज़िक्र किया। महाराष्ट्र में जब रिज़र्वेशन का matter हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट ने यह कहा कि इस तरह से रिज़र्वेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन मुसलमान शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, अगर उसको सरकार चाहती है, तो उसके लिए एजुकेशन में रिज़र्वेशन रख सकती है। यह भी वहाँ की सरकार ने नहीं किया। गहलोत जी, मुझे लगता है कि इसमें 10 परसेंट रिज़र्वेशन गलत बात है, मैं चाहता हूँ कि इसमें 10 परसेंट नहीं, कम से कम 20 टका रिज़र्वेशन तो रखिए। 20

परसेंट रिज़र्वेशन रखेंगे, तो उनको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा, नहीं तो क्या होगा, वह मैं आपको बताता हूँ। आज जो नौकरियां मिलती हैं, उनमें बड़े पैमाने पर सबसे ऊपर की जाति के लोगों को मिलती है।

(5एफ-डीएस पर जारी)

DS-SKC/9.10/5F

श्री हुसैन दलवई (क्रमागत) : अगर आप इसमें केवल 10 टका ही रखेंगे, तो इसका मतलब उनमें से जो गरीब हैं, वे ही वह 10 टका लेकर जाएँगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि दलित और ब्राह्मण में कोई comparison नहीं हो सकता, भले ही दोनों गरीब हैं। दलित ब्राह्मण से अमीर भी हो सकता है, लेकिन उसका सोशल स्टेटस बहुत ही ...(व्यवधान)... (समय की घंटी) ... ज़रा बोलने तो दीजिए। इसमें भी अन्याय ! इसमें भी हमारे ऊपर अन्याय! यह क्या बात है? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आपके तीन मिनट हो गए। ...(व्यवधान)...

श्री हुसैन दलवई : एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप ...(व्यवधान)... आपसे मेरी अपेक्षा थी। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आपने तीन मिनट का समय माँगा था, तीन मिनट पूरे हुए। ...(व्यवधान)...

श्री हुसैन दलवई : मैं यह कहता हूँ कि इसके बारे में कहीं न कहीं यह होना चाहिए कि अभी आप 10 टका आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में मराठा समाज को 16 टका आरक्षण देने की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। अभी यहाँ, सही मायने वे सोशली बैकवर्ड हैं, यह सिद्ध करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर यह होता है कि

आप इसमें आर्थिक आधार लगाते हैं, तो मेरा कहना यह है कि जब आप इसको 20 टका रखेंगे, तब जो-जो समाज आज रिज़र्वेशन की माँग कर रहा है, उसको उसका फायदा होगा। आप यह करते वक्त सही मायने में दूसरी बात भी कीजिए। ...(समय की घंटी)... आप स्कॉलरशिप दीजिए। इसके बाद बोलिए कि हम घर वापसी की बात नहीं करेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय हुसैन दलवई जी, आप कन्क्लूड करें, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊँगा। ...(व्यवधान)...

श्री हुसैन दलवई : लिंचिंग नहीं करेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आपके ऑलरेडी चार मिनट हो गए हैं, प्लीज़ बैठें। ...(व्यवधान)...

श्री हुसैन दलवई : मैं जान-बूझकर कहता हूँ। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स के लिए आपने ढाई लाख रुपये की लिमिट रखी है और इसमें आप आठ लाख रुपये तक की आय ...(व्यवधान)... आप ढाई लाख रुपये से नीचे की आय वालों को यह दीजिए, ऐसा मेरा कहना है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय दलवई जी, अब मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊँगा। ...(व्यवधान)... माननीय दलवई साहब, आप कन्क्लूड करें, अब मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊँगा। ...(व्यवधान)...अगले स्पीकर हैं, माननीय अब्दुल वहाब साहब। ...(व्यवधान)...

श्री हुसैन दलवई : आपने संविधान के बारे में यह कहा है कि उसके आर्टिकल 14, 15 और 16 में ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय अब्दुल वहाब, आप दो मिनट में अपनी बात खत्म करें।...(व्यवधान)... आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी, अब उनकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी।...(व्यवधान)...

श्री हुसैन दलवई : *

श्री उपसभापति : वहाब साहब, अगर आप नहीं बोलेंगे, तो मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊँगा। ...(व्यवधान)...

***Not recorded**

श्री हुसैन दलवई : *

श्री उपसभापति : आप बोलें, अपनी बात कहें। अब रिकॉर्ड पर उनकी बात नहीं, आपकी बात जाएगी।...(व्यवधान)... दलवई साहब, अब आप बैठिए, प्लीज़। ...(व्यवधान)...

श्री हुसैन दलवई : *

(समाप्त)

SHRI ABDUL WAHAB (KERALA): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak. इसके लिए हम आपको सलाम, सलाम, सलाम, ट्रिपल सलाम बोलते हैं।

Sir, I strongly oppose the Bill. Maybe I am the first speaker to strongly oppose the Bill. I do so because this is illegitimate and illegal in all senses. This is a draconian Bill that kills the spirit of the Constitution. In 1950, in this very Parliament, such a wonderful Constitution was given to us by our great leaders, including our leaders, Syyed Ahmed and Mohammed Ismail Sahib, along with Dr. Ambedkar and Pandit Jawaharlal Nehru. Now they are killing

---

***Not recorded**

the spirit of the Constitution. I feel that this Bill has come up now because of Akhilesh Yadavji and Behenji because they have made this coalition just before elections. If they had done so tomorrow, this Bill wouldn't have been there. They are the culprits according to me. I am blaming them. ...(Interruptions)... They have chosen the wrong time. If they had selected tomorrow or some day after this Session ended, this Bill would not have come. This is actually the situation. This is the way I look at this Bill. All the problem is because of SP and BSP. ...(Interruptions)...

श्री उपसभापति : कृपया शांति बनाए रखें। वहाब साहब, आप बोलिए। ...(व्यवधान)...

SHRI ABDUL WAHAB: This Bill is not aimed at poverty eradication. This Bill for reservation is not about the economic criterion in any way. Our Law Minister is a very good lawyer and a very respectable man. I don't know for

what reason he has agreed to this overnight decision. I strongly oppose this Bill. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me invite the next speaker. Please conclude. Your time is over.

SHRI ABDUL WAHAB: Thank you very much, Sir, for giving me time.

(Ends)

श्री उपसभापति : माननीय रामदास अठावले जी।

श्री रामदास अठावले (महाराष्ट्र) : डिप्टी चेयरमैन सर,

"सवर्णों को आरक्षण देने की दिखाई है नरेन्द्र मोदी जी ने हिम्मत,
इसलिए 2019 में बढ़ेगी उनकी कीमत।....

(5जी/एमज़ेड पर जारी)

MZ-HK/9.15/5G

श्री रामदास अठावले (क्रमागत) :

"सवर्णों में भी थी गरीबी की रेखा,

नरेंद्र मोदी जी ने उसको देखा,

और 10 परसेंट आरक्षण देने का ले लिया मौका,

लेकिन 70 साल दिया है कांग्रेस ने सवर्णों को *

नरेन्द्र मोदी जी का कारवां आगे चला,

इसलिए गरीब सवर्णों का हुआ है भला।

नरेन्द्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला, ...(व्यवधान)...

इसलिए कांग्रेस को छोड़कर मैं बीजेपी की तरफ चला।...(व्यवधान)...

सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का,

और 2019 में विजय है उनका पक्का।...(व्यवधान)...

***Expunged as ordered by the Chair.**

नरेन्द्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का,

तो मैं कांग्रेस के खिलाफ मारता हूं छक्का"।

आज 124वां अमेंडमेंड बिल सवर्णों को आरक्षण देने का आ रहा है। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दलितों और आदिवासियों को आरक्षण देने का निर्णय लिया, ओबीसी को आरक्षण मंडल कमीशन के माध्यम से मिला और मैं हमेशा बोलता था कि दलित पर अत्याचार होने का कारण यह है कि सवर्णों को लगता था कि इनको आरक्षण मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता है। इसीलिए मैं बार-बार मांग करता रहा कि एससी-एसटी, ओबीसी के आरक्षण को धक्का न लगाकर सवर्णों को आरक्षण दीजिए। आज यह बिल आ गया है। बिल की चर्चा एक दिन में होती है। आप लोग बोल रहे हैं कि इतना लेट क्यों लाए? चुनाव नज़दीक आ गए तो बिल लाने की आवश्यकता थी। ...(व्यवधान)... चुनाव जीतने के लिए जो भी करना चाहए, तुम भी करो, हम भी करते हैं। तुमको जो करना है, करो। अच्छा काम क्या करना है, दो-तीन महीने में क्या-क्या करना है, इसमें मोदी जी और अमित शाह बहुत होशियार हैं और मैं भी होशियार हूं। लोगों को कैसे कन्विंस करना है, ठीक बात है। अभी तीन राज्यों में हार गए, 15-15 साल मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सरकार थी। लोगों में थोड़ा बदलाव करने की भावना होती है और

राजस्थान में 5 साल के बाद एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, ऐसा होता ही था। वह बदलाव होना ही था, तो भी बीजेपी ने बहुत बड़ी कांटे की टक्कर दी है। आपको पूरी मेजॉरिटी नहीं मिली है। आप लोग बोल रहे हैं कि वर्ष 2019 में ये नहीं आएगी, वह नहीं आएगी, तो आप कैसे आएगी? हम नहीं आएंगे, तो आप कैसे आएंगे? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय अठावले जी, तीन मिनट हो रहे हैं।

श्री रामदास अठावले : अभी सपा और बसपा एक साथ आए हैं। यह अच्छी बात है। ये दोनों एक-दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन अभी मित्र बन गए हैं। शुरू में कांशीराम जी और मुलायम सिंह यादव जी एक साथ आए थे। उन दोनों को एक साथ रहना चाहिए था, लेकिन वे आपस में एक-दूसरे के खिलाफ चले गए। अभी साइकिल और हाथी एक साथ आए हैं। साइकिल पर हाथी बैठता है कि ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : आप उसकी चिंता मत कीजिए।

श्री रामदास अठावले : जो भी है, लेकिन आप लोग आए हैं। आप लोग कोशिश करें।

श्री उपसभापति : नागर जी, कृपया शांत हो जाइए।

श्री रामदास अठावले : उत्तर प्रदेश में आप लोग एक साथ आए, यह अच्छी बात है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। बसपा अगर सपा के साथ चली गई है, तो उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। एक ज़माना था कि हमारे आर.पी.आई. के चार प्रतिनिधि, यह हाथी सिम्बल हमारा था, वह हाथी सिम्बल आपके पास आया है और हाथी मेरी तरफ देख रहा है और उनको उधर खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है।

(5H/DN पर जारी)

श्री रामदास अठावले (क्रमागत) : और उनको यह लग रहा है कि मंत्री बन गए हैं, इधर थोड़ा खाने के लिए मिलेगा। मिश्रा जी, आपकी पार्टी बड़ी है, हमारी पार्टी छोटी है। जब बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों का विरोध किया था, तब मैं बोलता था कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ब्राह्मण जाति का विरोध नहीं किया था, ब्राह्मणवाद का विरोध किया था और इसीलिए अभी आप सब लोग एक साथ आए हैं, वह अच्छी बात है। आप लोग कुछ भी करें।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : आप भी इधर ही आने वाले हो।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : अठावले जी, कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामदास अठावले : मायावती जी का हम आदर करते हैं। वे हमारी और हमारे समाज की बहन हैं। वे बहुत बड़ी ऐडमिनिस्ट्रेटर हैं। ...(व्यवधान)...चार बार मुख्य मंत्री बनी हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : हम तो यह सोच रहे हैं...(व्यवधान)...

श्री रामदास अठावले : लेकिन मिश्रा जी, मायावती जी तीन बार बीजेपी का सपोर्ट लेकर मुख्य मंत्री बनी हैं।

श्री उपसभापति : माननीय अठावले जी, आप चेयर की तरफ देखकर बोलें और अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामदास अठावले : मैं आपकी तरफ भी देखता हूं, लेकिन थोड़ा-थोड़ा इनकी तरफ भी देखना पड़ेगा।

श्री उपसभापति : कृपया आप समय सीमा के भीतर अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामदास अठावले : मायावती जी बीजेपी के सपोर्ट से तीन बार मुख्य मंत्री बनी थीं।...(व्यवधान)... इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि दलित विरोधी का नारा देना ठीक नहीं है। आप कोई दूसरा रूप ...(व्यवधान)... आज बीजेपी दलितों की है, ...(व्यवधान)... बहुजनों की है। ...(व्यवधान)...इस बिल में अल्पसंख्यकों को भी शामिल कर लिया है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : कृपया आप कन्क्लूड कीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री रामदास अठावले : हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : कृपया कन्क्लूड करें। ...(व्यवधान)... अपनी बात कन्क्लूड करें।...(व्यवधान)... अठावले जी, आप चेयर की तरफ देखकर अपनी बात खत्म करें। ...(व्यवधान)... अपनी बात खत्म करें। ...(व्यवधान)... अपनी जगह पर बैठ जाएं। ...(व्यवधान)... आप चेयर की तरफ देखकर एड्रेस करें और अपनी बात खत्म करें। ...(व्यवधान)... मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। ...(व्यवधान)...

श्री वीर सिंह : आप दलित विरोधी हैं। ...(व्यवधान)...

श्री रामदास अठावले : आप बीजेपी को मनुवादी समझते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : कृपया आप अपनी बात खत्म करें। ...(व्यवधान)...

श्री रामदास अठावले : आप बीजेपी को मनुवादी समझते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री नीरज शेखर : सर, ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : कृपया आप अपनी बात खत्म करें। ...(व्यवधान)...

श्री रामदास अठावले : आप सत्ता में थे। ...(व्यवधान)... आप इनके सपोर्ट से सत्ता में थे। ...(व्यवधान)... अब आपको दिखाई नहीं देता। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : अठावले जी, कृपया आप अपनी बात समाप्त करें। पर्याप्त समय हो गया है। ...(व्यवधान)... मैं दूसरे वक्ता को बुला रहा हूं। ...(व्यवधान)... ऑनरेबल श्री टी.जी. वेंकटेश। ...(व्यवधान)... One minute please ...(व्यवधान)... आपकी पार्टी समय ले चुकी है।...(व्यवधान)... लेकिन मैं पुनः आपको एक मिनट का समय देता हूं। ...(व्यवधान)... श्री टी.जी. वेंकटेश आपकी बात ही रिकॉर्ड में जाएगी। ...(व्यवधान)... अठावले जी, कृपया आप बैठ जाएं। ...(व्यवधान)...प्लीज़ अठावले जी, आपने बहुत समय ले लिया है। ...(व्यवधान)... आप बैठ जाएं। ...(व्यवधान)... सिर्फ श्री टी.जी. वेंकटेश जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।...(व्यवधान)..किसी और की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। ...(व्यवधान)... प्लीज़ आप बैठ जाएं। ...(व्यवधान)...

श्री रामदास अठावले : *

श्री उपसभापति : श्री टी.जी. वेंकटेश आप बोलें। ...(व्यवधान)...

SHRI T.G. VENKATESH (ANDHRA PRADESH): Mr. Deputy Chairman Sir, on behalf of Chandrababu Naiduji, we support the Bill unconditionally for providing 10 per cent reservation quota for Economically Backward Class people in upper castes Bill brought by the Government of India. ...(Interruptions)...

***Not recorded**

श्री उपसभापति : श्री टी.जी. वेंकटेश, आप बोलें। ...(व्यवधान)... Please speak. ...(Interruptions)... You have got only one minute. ...(Interruptions)... Please speak. ...(Interruptions)... Otherwise, I will invite other speaker.

...(Interruptions)...माननीय अठावले जी, आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। ...(व्यवधान)...

SHRI T.G. VENKATESH: On a number of occasions, State Government has recommended reservations for Muslims, Kapu community, Valimiki Community and others. ...(Interruptions)...

श्री उपसभापति : आप बोलें। ...(व्यवधान)... आप बोलें। ...(व्यवधान)...

SHRI T.G. VENKATESH: But, the Central Government has not taken up seriously and kept the State Government's proposal in cold storage. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. T.G. Venkatesh, please continue. ...(Interruptions)...

SHRI T.G. VENKATESH: The State Government is giving financial assistance though budgetary support to the upper class Economically Backward Classes by creating Corporations like Brahmin Corporation, Kapu Corporation... ...(Interruptions)...

श्री उपसभापति : अठावले जी, कृपया आप शांति रखें।...(व्यवधान)...

SHRI T.G. VENKATESH: ...(Interruptions)... in the country. ...(Interruptions)... In spite of the deficit budget, the State Government is providing all the budgetary support. ...(Interruptions)...

श्री उपसभापति : कृपया आपस में बातचीत बंद करें। ...(व्यवधान)... प्लीज़, आपस में बातचीत बंद करें। ...(व्यवधान)... श्री टी.जी. वेंकटेश...(व्यवधान)...

SHRI T.G. VENKATESH: But, our request is that the Central Government should also give budgetary support to these types of corporations because everybody is well aware that our State's budget was a deficit budget and the State has been divided without applying the mind. Unilaterally, the State has been divided. As per the Constitution, everyone should get the benefit from the Government irrespective of castes and religions. Reservation benefits should be given to all categories of people including the upper classes like Brahmins, Baniyas, Muslims, etc. to create equal opportunities.

(Followed by KSK/5J)

KSK/SC/9.25/5J

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. Please conclude. You have already taken two minutes.

SHRI T.G. VENKATESH: Sir, one of my associates got injured and he had to be taken to a hospital. Now, our State shares border with Karnataka and Telangana. When one fellow got injured, he went to a hospital in the adjacent State. They asked him to which State he belonged, which card he was carrying. They asked him whether he had a white card, whether he was a BC, SC or OC. These types of questions are asked whenever people

have to go to the hospitals in other States. There has to be a solution to this kind of a problem.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. You have already taken three minutes. I will call the next speaker.

SHRI T.G. VENKATESH: Even when my associate animal got injured and it had to be taken to a hospital in an adjacent State, they did not ask such questions about that animal. So, why such questions are being asked from people?

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I will call Shri Jose K. Mani. You have only two minutes. हम लोगों ने बहस से already डेढ़ घंटा अधिक समय ले लिया है।

SHRI JOSE K. MANI (KERALA): Sir, this is a long-awaited social justice towards the economically-weaker sections of the society. I support this Bill in its spirit and hope that it will be utilised for the benefit of the target group it is meant for. Positive affirmation towards the weaker sections of the society will bring them at par with other privileged classes. Urbanisation has also created the urban poor, who mostly strive to find proper shelter, education and employment. These people are mostly the upper classes with lower means at their disposal. This condition has developed post independence

and post-industrialisation in India. Hence, this requires our urgent action. We also hope that this will finally be able to do away with the reservation stigma people faced in day-to-day lives with reservation being the panacea for the weaker sections as a whole. However, I am unsure about the legality of the Bill since we are aware of the 50 per cent reservation limit fixed by the Supreme Court. Some clarification has been made by the Law Minister, but we have our own doubt.

Moreover, introduction of the Bill merely two months prior to the elections raises some concerns. We sincerely hope that this is not a gimmick like the demonetization was. I support the Bill, but I would like to ask as to why the Government introduced this Bill on the last day of the session. This is a very important Constitutional Amendment, which needs quality discussion, and it should have been brought up in the initial days.

Sir, to conclude, I would like to say that reservation alone would not lead to poverty alleviation. There is a dearth of jobs in the country with the unemployment being the highest in 27 months. One crore people have lost their jobs in 2018. The unemployment rate in December, 2018, shot up to 7.38 per cent from 6.62 per cent in November, 2018, and 4.78 per cent in December, 2017.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Mani, your time is over

SHRI JOSE K. MANI: Having reservation in jobs with no job in hand will do no justice to the weaker sections of the society. I sincerely hope that this Government will look into these concerns and will solve the crisis of unemployment. With this, I support the passage of the Bill. Thank you, Sir.

(Ends)

श्री उपसभापति : ऑनरेबल श्री जी.वी.एल.नरसिंहा राव। आप कृपया तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO (UTTAR PRADESH): Respected Deputy Chairman, Sir, I would like to begin by saluting the hon. Prime Minister for ushering the real era of '*sabka saath, sabka vikas*'. Poor people of this country have waited for generations that a leader will come who will rise above every other consideration of caste and community and support the poor people of this country without any fear or favour, and you have those moments in the last four-and-a-half years, when this country has experienced widespread development and upliftment of the poor people of this country. What had not been done for several decades in this country has been done in span of four-and-a-half years.

(Contd. by 5K - DPK)

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO (CONTD.): Sir, the poor people of this country today realise that here is a real *maha purush,* a real *Mahatma* who has brought development for the poor people of this country. The statistics do not lie. Look at the numbers. Sir, nearly 6 crore women, the poor women across castes and communities have got free LPG supply. Sir, three crore poor households have got electricity. What has not been done? Sir, previous Congress Governments gave slogan '*Garibi Hatao'* but the real leader who has worked for the upliftment of the poor is hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi. I would like to ask our friends from the Opposition, on 22.07.2010, the Sinho Commission Report was submitted and I have with me all the questions that were asked in both the Houses of Parliament, and the stock reply from August 2010 till February 2014 was that we have received the report and we are examining the findings of the recommendations. आपने अटकाना, लटकाना, भटकाना , this was the principle that was being followed and we do not believe in the concept of timing, stopping or side-lining. This is the Prime Minister who wants to give justice to all and he has ensured that the poor people of this country get justice. We have also given justice to the farmers of this country. Reports were submitted from 2004 to 2006. The key promise to the farmers of this country of 150 per cent of the cost as MSP was fulfilled by this Government. You

only looked at reports but we have delivered. We delivered justice. You only looked at the academics and the intellectual aspects of it. We delivered justice to the poor people of this country. I think, the hon. Prime Minister deserves a great deal of applause for this support and for ensuring social justice.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, I will take a minute more. About employment, Sir, 71 lakh jobs were created in the formal sector last year itself. These are official statistics. Sir, several crore jobs are being created in the informal sector, in the professional sector. In 2013, we were a fragile economy. (Time-Bell)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Today, the World Bank report says that we are the fastest growing economy and we will continue to move ahead.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. (Time-Bell). Please conclude now...(interruptions)...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, this is what the Government has done. A lot of parties have supported this...(interruptions)...

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. (Time-Bell) ...(interruptions)... I will call another speaker now. Mr. Ahmed Patelji ...(interruptions)... आप तीन मिनट में अपनी बात कहें।

श्री अहमद पटेल (गुजरात): महोदय, इस बिल पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ बातें कही हैं, अपने विचार रखे हैं, अपने सुझाव रखे हैं। उसमें मैं कोई किसी की आलोचना नहीं करना चाहूंगा, न तो कोई टीका-टिप्पणी करना चाहूंगा और न ही मैं आंकड़े देना चाहूंगा। लेकिन यह सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। लोक सभा में yesterday only, कल प्रश्न सं. 4475 में, Mr. Kotha Prabhakar Reddy ने जो question पूछा था, उसके answer को मैं सिर्फ repeat करना चाहूंगा। क्या सरकार अगड़े समुदायों के गरीब छात्रों की शिक्षा और रोजगार हेतु आरक्षण प्रदान करने की संभावनाओं को तलाश कर रही है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार को अगड़े समुदायों के वर्गों यथा महाराष्ट्र में मराठियों, राजस्थान में राजपूतों और उत्तर प्रदेश में ठाकुरों से उनके समुदायों के कमजोर सदस्यों को आरक्षण प्रदान करने संबंधी मांगें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? This was asked yesterday only, in the Lok Sabha और मंत्री जी का जवाब क्या आ रहा है- "वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। " इसे मैं इस सदन के ध्यान में लाना चाहता था और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि सरकार के काम करने का क्या

तरीका है। दायां हाथ क्या कर रहा है, यह बाएं हाथ को पता नहीं है और बायां हाथ क्या कर रहा है, वह दाएं हाथ को पता नहीं है।

(5L/GS पर आगे)

GSP-GS/9.35/5L

SHRI RITABRATA BANERJEE (WEST BENGAL): Sir, when we discuss this Bill, the question of employment is the moot point. When you want to extend reservation without creation of employment, reservation cannot be extended. The policies pursued by the Union Government, instead of generating employment, have led to the loss of existing jobs. It is a 'job loss growth'. The existing quota for SC, ST and OBCs is not being filled up. Benefits of reservations are increasingly eroded by the pursuit of aggressive neo-liberal policies and by keeping the private sector outside its purview.

Sir, recently, on September 17, 1.9 crore applicants appeared for the Railway Recruitment Board exam to fill up 62,000 vacancies. These were jobs for gangman, gateman, helpers in electrical and mechanical departments etc. A majority of the candidates who applied for these posts were post-graduates.

Contrary to the claims of the Union Government of generating jobs in various sectors, during demonetisation itself, 35 lakh jobs were lost due to the impact of demonetisation. Sir, after four and a half years of the Union

Government, the data on employment confirms a basic fact that neo-liberal growth and only *bhashan* does not generate employment. According to the Government's statistics, India's GDP grew by 8.2 per cent in the first quarter of this financial year, that is, from April to June, 2018. However, during the same quarter, employment declined by one per cent. This is the reality. This is the Government data. Sir, this shows the all-round failure of the Union Government in generating sufficient employment to meet the requirement of the new entrants every year, which is estimated to be 1.2 crore.

Sir, the policies of the Government have created such a situation where rural employment is huge. Fifty per cent of the workforce in India is in agriculture. The policies of privatisation and opening up of all basic services to the market have resulted in bulk employment in the informal sector. It is here that there is maximum exploitation with no minimum wages, job security and social security benefits.

The only other option open is to be 'self-employed', an euphemism for those who can find no other means of livelihood.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...(Interruptions)...

SHRI RITABRATA BANERJEE: It is for these desperate people that the hon. Prime Minister has dangled the prospect of 'making pakodas' as a

decent livelihood. Sir, 'making pakodas' cannot be a decent livelihood. If the Government wants to implement this reservation... ...(Time-bell)...

Sir, the youth is being neglected. 54 per cent of youth... ...(Interruptions)... Sir, average age of the youth is 25 years. Government needs to emphasize on that. Youth has been cheated, youth has been neglected, and the Government needs to emphasize on that. Thank you, Sir.

(Ends)

श्री उपसभापति : माननीय अमर सिंह जी। कृपया दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दीजिएगा।

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, मैं सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं आज प्रातःकाल से यहां बैठा हुआ हूँ और पीछे बैठने का लाभ यह है कि पूरे सदन पर नजर रहती है और भाव-भंगिमाएं समझ में आती हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग यहां पर विरोध कर रहे हैं, वे वोट क्यों दे रहे हैं? वे वोट न दें। इतना गलत बिल है, इतना गंदा बिल है, इतना भद्दा बिल है, तो वोट क्यों देते हो, वोट मत दो। ...(व्यवधान)... कुछ लोग ये कहते हैं ...(व्यवधान)... जो नहीं दे रहे हैं, अच्छा है, स्वागत है आपका। हम उन लोगों की बात कह रहे हैं जो कि जोर से समर्थन भी कर रहे हैं... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति : कृपया आप अपनी बात चेयर को एड्रेस करते हुए बोलिए।

...(व्यवधान)...

श्री अमर सिंह : दूसरी चीज़ मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, वे बड़े लोग हैं, उनका नाम लेने में डर लगता है और ऐसे ही विवाद हो जाएगा कि मन बदलना चाहिए। सवर्णों ने तो क्षत्रिय भगवान राम के समय से अपना मन बदल लिया। सवर्णों ने शबरी के झूठे बेर खाये, अहिल्या को तारा, तब से मन बदल लिया है। पिछड़ों के घरों में अपनी लड़कियां दे दीं, रोटी-बेटी का संबंध कर लिया और क्या चाहते हैं, सब कुछ तो कर लिया! अगर राजस्थान में भैंरों सिंह शेखावत न होते, तो हम भूखों मरते।

(RPM/5M पर जारी)

RPM-YSR/5M/9.40

श्री अमर सिंह (क्रमागत) : उन्होंने टूटे-फूटे महलों का जीर्णोद्धार कर के हमें रोज़ी-रोटी दी और "स्वतंत्र पार्टी" का गठन भी इसलिए हुआ कि हमारी रोज़ी-रोटी छीन ली गई। राजगोपालाचारी जी ने इसीलिए स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। अब बहुत दिनों बाद हमारे आरक्षण का सवाल आया है और वह भी गरीब का। यहां तो जो बड़े-बड़े लोग हैं, वे मंडल कमीशन का लाभ ले रहे हैं। आज भी मंडल कमीशन का लाभ कुछ ही समुदायों के अलावा अति पिछड़ों को भी नहीं मिला। उसके बाद हमें जो इस आरक्षण का लाभ मिलेगा, अब अमर सिंह को तो इसका लाभ मिलेगा नहीं, लेकिन जगजीवन राम जी के परिवार को तो मिलेगा, तो संतुलन तो हो रहा है। इस संतुलन के बावजूद देश, काल और परिस्थिति की बात हो रही है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: माननीय अमर सिंह जी, दो मिनट हो रहे हैं, इसलिए आप अपनी बात खत्म करें। ...(व्यवधान)...

श्री अमर सिंह : देश, काल और परिस्थिति की बात हो रही है। ...(व्यवधान)... अगर तीन राज्यों के चुनावों से पहले मोदी जी इस आरक्षण को लाते, तो कहते कि अवसरवाद है और अब लाए हैं, तो कह रहे हैं कि चुनावों से पहले लाए हैं।

...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय अमर सिंह जी, आप अपनी बात समाप्त करें। यदि आप अपनी बात समाप्त नहीं करेंगे, तो मैं अगले माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दे दूंगा। ...(व्यवधान)... आप अपनी बात खत्म करें।

श्री अमर सिंहः उपसभापति महोदय, मैं बस यही कह रहा हूं। ...(व्यवधान)... आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैं आखिरी पंक्ति पर हूं। यदि तीन राज्यों के चुनावों से पहले इसे लाया जाता, तो कहते कि राज्यों के चुनावों के लिए लाया गया है और अब लाए हैं, तो कह रहे हैं कि आगामी चुनावों के लिए लाया गया है। इसका मतलब तो यह है कि "चित भी मेरी और पट भी मेरी"...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय अमर सिंह जी, आप अपनी अंतिम बात कहें, अन्यथा मैं अगले माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दे दूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री अमर सिंहः उपसभापति जी, मैं अंतिम बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा-

" दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है
हमें उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते, वफा क्या है।"

(समाप्त)

कुमारी शैलजाः उपसभापति महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री प्रदीप टम्टाः माननीय उपसभापति जी, ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः माननीय मंत्री जी शुरू करें। यदि आपको समय दूंगा, तो अन्य सदस्यों को भी देना पड़ेगा। इसलिए कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। ...(व्यवधान)... यदि कुछ असंसदीय होगा, तो उसका परीक्षण किया जाएगा और उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। ...(व्यवधान)...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत) : माननीय उपसभापति महोदय, आज यह सदन एक ऐतिहासिक निर्णय लेने जा रहा है। इस संविधान संशोधन के माध्यम से एक ऐसा संवैधानिक प्रावधान किया जा रहा है कि उन लाखों परिवार के ऐसे सामान्य वर्ग के लोगों को जो गरीबी रेखा के आसपास अपना जीवनयापन करने के लिए मजबूर हैं, उन्हें इससे शैक्षणिक संस्थाओं, सरकार की सेवाओं और नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। इस विधेयक के बारे में अनेक प्रकार की चर्चाएं हुईं। अब जैसा जिसको सोचने का अवसर मिला, जिस ढंग से सोचा, उसने उस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। मैं यह कह सकता हूं कि नरेन्द्र मोदी जी ने यह विधेयक अच्छे मन से, सच्चे मन से, अच्छी नीति और अच्छे इरादे से, उन गरीब तबके के लोगों को, जो सामान्य वर्ग की श्रेणी में आते हैं और अभी तक सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ लेने से वे वंचित रहे हैं, उन्हें लाभान्वित करने की दृष्टि से इसमें प्रावधान करने का काम हम कर रहे हैं।

महोदय, हमारे बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस संबंध में शंका और आशंकाएं व्यक्त की हैं कि संविधान में प्रावधान नहीं है, फिर आप कैसे कर सकते हैं ? कुछ राजनीतिक दलों ने पिछले चुनाव के समय में जो घोषणा-पत्र जारी किया था और उसमें यह कहा था कि अगर वे सरकार में आएंगे, तो सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को भी

आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं और विशेषकर आदरणीय आनन्द शर्मा जी और उनकी पार्टी से, क्योंकि उनके चुनाव घोषणा-पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया कि अगर वे सरकार में आएंगे, तो सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण देने की व्यवस्था करेंगे। आप वह कौन सा तरीका अपनाते, जो हमने अपनाया है, यदि आपका तरीका उससे कुछ भिन्न हो, तो बताएं और नहीं, तो एकमात्र उपाय यही है कि संविधान में इस संबंध में आवश्यक प्रावधान किए जाएं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः माननीय मंत्री जी, आप कृपया चेयर को देखकर बोलिए।

श्री थावर चन्द गहलोत : आपने समर्थन किया, आपकी पार्टी ने समर्थन किया, पर आपके बाद ...(व्यवधान)... आपकी ही पार्टी के ...(व्यवधान)... अच्छे कानून भी थे, अच्छे वकील भी थे, पर आज पता नहीं...(व्यवधान)...

(5 एन/एल.पी. पर जारी)

LP-VKK/5N/9.45

श्री आनन्द शर्मा : माननीय मंत्री महोदय, आप तो सज्जन व्यक्ति हैं। इस समय जो शुभ काम करना है, अगर आप उसमें ऐसी बातें करेंगे तो..(व्यवधान)..

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत) : चलिए, मैं नहीं बोलूंगा।

श्री आनन्द शर्मा : मजबूरी में हम समर्थन कर रहे हैं या आप मजबूरी में लाए हैं, यह बात बताना..(व्यवधान)..

श्री थावर चन्द गहलोत : नहीं, नहीं मजबूरी में नहीं कर रहे हैं, आप तो मन से कर रहे हैं।..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : मंत्री जी, आप चेयर को देखकर संबोधित करें।

श्री थावर चन्द गहलोत : दो-तीन राजनीतिक दलों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दलों की तरफ से इसका समर्थन किया गया है। मैं उन सबको बहुत-बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय में अपना समर्थन व्यक्त किया है। ..(व्यवधान)..माननीय उपसभापति महोदय, अभी तक लगभग तीन दर्जन माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और सभी ने - मैंने बताया है कि सिर्फ दो-तीन पार्टी के माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है, बाकी सभी ने इसका समर्थन किया है। आनन्द शर्मा जी ने इस पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कुछ बातें कहीं, नेहरू जी का भी उदाहरण दिया गया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश की संस्कृति और परंपरा की यह विशेषता है कि उच्च वर्ग के लोगों ने उस समय अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने का काम किया था और आज उसी आशय से नरेन्द्र मोदी जी, पिछड़े वर्ग से होने के बाद भी सवर्ण वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का काम कर रहे हैं। ..(व्यवधान)..यह अपनी संस्कृति की एक विशेषता है। जब-जब..(व्यवधान)..अगर कोई विषय आया है..(व्यवधान)..तब समाज में से ही कुछ लोग आगे आए हैं और उन्होंने एक-दूसरे की मदद करने का काम किया है। ..(व्यवधान).. इसके लिए ये दो बड़े उदाहरण बड़े अच्छे हैं। ..(व्यवधान)..बीच में डा. भीमराव अम्बेडकर..(व्यवधान)..बाबा साहेब भी आए..(व्यवधान)..उन्होंने भी यह काम किया, पर मैं तो ..(व्यवधान)..शुरू और..(व्यवधान)..आज की बात कर रहा हूं। ..(व्यवधान)..

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : देश का संविधान उन्होंने बनाया..(व्यवधान)..बाबा साहेब बीच में आए! ..(व्यवधान)..

श्रीमती मीशा भारती : मंत्री जी क्या बोल रहे हैं? बाबा साहेब..(व्यवधान)..

श्री वीर सिंह : बाबा साहेब ने संविधान बनाया..(व्यवधान)..

श्री थावर चन्द गहलोत : मैं मान रहा हूं कि उन्होंने भारत का संविधान बनाया और आरक्षण की व्यवस्था हुई।

श्री उपसभापति : आप कृपया चेयर को देखकर अपनी बात कहें। ..(व्यवधान)..

SHRI D. RAJA: Sir, it is not...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Raja, you please sit down. ...(Interruptions)...आप कृपया बैठें। ..(व्यवधान)..

श्री थावर चन्द गहलोत : यह बात सही है कि कांग्रेस ने आरक्षण की व्यवस्था आरंभ की। भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार की है..(व्यवधान)..यह बात और ज्यादा..(व्यवधान)..सही है।..(व्यवधान)..यह जो विधेयक लाया गया है, वह उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए..(व्यवधान)..लिया गया है। ..(व्यवधान)..बाद में आदरणीय प्रो. राम गोपाल यादव जी ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा है कि इसका लाभ सही मायने में ज्यादा लोगों को नहीं मिलेगा, परंतु मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जो SC/ST और OBC लोगों की आबादी है, उस आबादी का आंकड़ा भी टोटल आंकड़े के साथ जोड़ लिया गया और यह कह दिया कि 98 प्रतिशत है, इतने प्रतिशत है, इतने प्रतिशत है आदि। SC/ST और OBC वर्गों का जो लगभग

49.5 प्रतिशत का आरक्षण है, वह 49.5 प्रतिशत आरक्षण इससे अलग रहेगा।..(व्यवधान)..

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : आप बताइए..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : कृपया, आप अपनी जगह पर बैठिए।..(व्यवधान)..

श्री थावर चन्द गहलोत : हमने उस सीलिंग को टच करने का प्रयास नहीं किया है।..(व्यवधान)..हमने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ..(व्यवधान)..वह आरक्षण बरकरार रहेगा।..(व्यवधान)..

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : उपसभापति जी..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : थावर जी, आप हाउस में..(व्यवधान)..अपनी बात कहें।..(व्यवधान)..नागर जी, आप अपनी जगह पर बैठें। ..(व्यवधान)..

श्री थावर चन्द गहलोत : जो वर्तमान आरक्षण व्यवस्था है..(व्यवधान)..उस दायरे में नहीं आने वाले ऐसे सामान्य वर्ग के लोग हैं..(व्यवधान)..और गरीबी रेखा के आसपास जीवन-यापन करने वाले हैं..(व्यवधान)..इसमें वे ही लोग आएंगे।..(व्यवधान)..यह जो आंकड़ेबाजी हुई है, वह असत्य है, निराधार है।..(व्यवधान)..अगर उसमें इस प्रकार से अलग-अलग ब्रेक-अप करके बताया जाता, तो समझ में भी आता। ..(व्यवधान)..येन-केन-प्रकारेण..(व्यवधान)..समर्थन तो किया, परंतु यह जो "किंतु", "परंतु", "अपितु" लगाया है, वह उचित नहीं है। ..(व्यवधान)..इस सदन के माध्यम से देश की जनता को जो सही संदेश जाना चाहिए, वह इन आंकड़ेबाज़ियों के कारण नहीं गया है। आज की तारीख में 49.5 परसेंट SC/ST/ OBC का already आरक्षण है। सामान्य वर्ग के जो बाकी बच्चे हैं, जो वर्तमान आरक्षण व्यवस्था से अलग हैं, उनके लिए यह प्रावधान लागू

होने वाला है। ..(व्यवधान)..यह विधेयक पारित होने के बाद यह कहा गया है कि कब करेंगे..(व्यवधान)..कैसे करेंगे..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Raja, you please sit down.

श्री थावर चन्द गहलोत : उपसभापति जी, 15 (4) और 15 (5) में जो प्रावधान है, उसके होते हुए भी 15 (6), जो बनाया जा रहा है, उसमें यह बात कही है कि 15(4) और 15 (5) के होते हुए भी शैक्षणिक संस्थाओं में सामान्य वर्ग के गरीब तबके के छात्र-छात्राओं को 10 परसेंट आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी।

(AKG/5O पर जारी)

AKG-BHS/5O/9.50

श्री थावर चन्द गहलोत (क्रमागत) : इसका मतलब अनुच्छेद 15 (4) और (5) के होने के बाद भी इस प्रकार का कानून बनाने से नहीं रोका जा सकेगा, यह एक प्रावधान इसमें किया गया है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 16 (4) और (5) में जो प्रावधान है, उसके होते हुए भी इसमें अनुच्छेद 16 (6) स्थापित किया जा रहा है, जो इस बात का अधिकार देने के लिए पर्याप्त होगा कि ऐसे सामान्य वर्ग के लोगों को भी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान होगा। जब यह प्रावधान हो जाएगा, तब अगर सुप्रीम कोर्ट में भी कोई जाएगा, तो मेरा अपना विश्वास है कि संवैधानिक प्रावधान होने के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय भी इस निर्णय को ही मानेगा। इस प्रकार का मेरा विश्वास है। यह मान कर चलिए कि हमने दिखाने के लिए कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ऐसा नहीं किया है। वास्तव में हम यह चाहते हैं, इसीलिए हमने संविधान में यह संशोधन किया, नहीं तो पिछली सरकारों के टाइम जैसे आदेश जारी हुए, हम भी वैसा

कर देते और कह देते कि हम क्या करें, कोर्ट ने इसके विपरीत ऐसा फैसला कर दिया है।

जहाँ तक इसे विलम्ब से लाने का प्रश्न है, उसके बारे में अगर मैं पुराना इतिहास बताना चाहूँगा, तो शायद फिर कहा जाएगा कि बिल पास कराना है कि नहीं। ...(व्यवधान)... यह तो काका कालेलकर के टाइम से लगातार चलता आ रहा है।

नवनीतकृष्णन जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए, देरेक ओब्राईन साहब ने भी अपने विचार व्यक्त किए और समर्थन किया, वाई.एस. चौधरी साहब ने भी समर्थन किया, बांडा प्रकाश जी ने भी समर्थन किया। कई माननीय सदस्यों ने राज्यों में आरक्षण करने के प्रावधान का उल्लेख किया है। अपने यहाँ आरक्षण सामान्यतः चार प्रकार का है। जातिगत छुआछूत के कारण अनुसूचित जाति का आरक्षण है। उसमें कोई इनकम लिमिट वगैरह या किसी प्रकार की कोई सीलिंग नहीं है। वनांचल में रहने वाले आदिवासियों को भी इसी आधार पर आरक्षण दिया गया है। OBC को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है, उसमें केवल महिला होने के कारण आरक्षण दिया गया है। जब महिला होने के कारण आरक्षण दिया जा सकता है, तो सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लोगों को भी आरक्षण देना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, आप अपनी बात conclude करें, क्योंकि 10 बजने वाले हैं। हम लोगों ने लंबी बहस की, कृपया आप conclude करें।

श्री थावर चन्द गहलोत : बहुत सारी बातों का उल्लेख आया और यह कहा गया कि आरक्षण का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं हो पा रही है।

वैसे यह निरंतर प्रक्रिया है। कोई भी सरकार रही हो, यह एक लाख कम ज्यादा जरूर रहा है। वर्तमान में भी है, परन्तु वर्तमान सरकार ने पहले की तुलना में एक लाख रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चला कर भी इसे पूरा करने का प्रयास किया है।

अनुसूचित जाति कल्याण, SC Sub-Plan के बारे में बात आई। SC Sub-Plan का नाम बदला गया है, योजना समाप्त नहीं की गई है। पहले वाली सरकारों ने कभी भी 11-12 परसेंट से ज्यादा का आवंटन नहीं किया था, जबकि मापदंड यह है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...(interruptions)... 10 घंटे पूरे होने वाले हैं।

श्री थावर चन्द गहलोत : मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि विधेयक से सम्बन्धित बात तो मैंने कर दी है, अगर और सभी बातों के लिए आप अनुमति नहीं देंगे, तो मैं उनकी चर्चा नहीं करूँगा। फिर कभी जब इस विषय पर चर्चा होगी, तब हम उस पर अपनी बात रखेंगे। परन्तु मैं यह कह सकता हूँ कि यह एक ऐतिहासिक बिल है। यह अच्छे इरादे, अच्छी नीति और अच्छी नीयत से लाया गया है। मैं प्रार्थना करूँगा कि इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया जाए। ...(व्यवधान)...

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendment moved by Shrimati Kanimozhi to vote. Mr. T.K. Rangarajan, you wanted to say something. Please be brief. I would just give you two minutes. Mr. T.K. Rangarajan, please.

SHRI T.K. RANGARAJAN (TAMIL NADU): Sir, this is a very important Constitution Amendment Bill. It has to go for a scrutiny.

(Contd. by RL/5P)

SHRI T.K. RANGARAJAN (CONTD.): Please send it to the Select Committee. ...(Interruptions)... Then, we will discuss it in February Session. So, I press for the Select Committee.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; I shall now put the Amendment moved by Shrimati Kanimozhi to vote. ...(Interruptions)...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, I am pressing for Division. Sir,... ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please; already Shri T.K. Rangarajan has spoken. ...(Interruptions)...

SHRIMATI KANIMOZHI: No, Sir; I moved it. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He told me that it is on behalf of each and everyone. ...(Interruptions)...

SHRIMATI KANIMOZHI: I moved the Motion. So, how can he? ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, please speak.

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, we oppose the way the Bill has been brought. We think that there has not been enough due diligence. ...(Interruptions)... There have been no discussions. ...(Interruptions)... Even the Ministry did not know; the Cabinet may not have known about this and the MPs did not know about it. ...(Interruptions)... Still, we saw it on television. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...(Interruptions)...

SHRIMATI KANIMOZHI: It hasn't been sent to the Standing Committee. I think, now, at least, we have to send this Bill to a Select Committee before it is being passed here.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, thank you. I shall now put Amendment moved by Shrimati Kanimozhi to vote. ...(Interruptions)...

SHRIMATI KANIMOZHI: I am pressing for Division.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, Division. ...(Interruptions)... पहले लॉबीज़ क्लीयर करवाएं। ..(व्यवधान)..

(Contd. by DC/5Q)